

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1945/14-10 दिनांक: अलीगढ़, अक्टूबर २२, 2018

सेवामे,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

Proposed forest land (Protected Forest) diversion for 765 kv duble circuit transmission line Orai Aligarh transmission line involving 1.0082 ha. in Hathras District with felling of 11 trees and 0.6595 ha. in Aligarh District with felling of 46 trees & 280 poles, total 1.6677 ha. of trees with felling of 57 trees and 280 poles-reg.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या 8वी/06/यू0पी0/04/22/2018/एफ0सी0/198 दिनांक 23.03.2018, आपका पत्रांक 2845/उरई-अलीगढ़ लाईन(1.6677)/31506/2016 दिनांक 05.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस ने पत्र संख्या 1383/14-1 दिनांक 11.10.2018 द्वारा निराकरण कर संस्तुति सहित आख्या एवं संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित आख्या के आधार पर निम्नप्रकार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव सहमति/संस्तुति सहित प्रेषित है।

शर्त संख्या	शर्त	अनुपालन की स्थिति
1	2	3
1	As per GIS DSS analysis following points regarding proposed forest land for diversion and proposed compensatory afforestation:	
(a)	Kml files of alternated routes are not provided.	Alternated routes के .kml files सी0डी0 में संलग्न हैं।(संलग्नक-1)
(b)	The SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has not been submitted.	प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल के टोपोशीट की मूल प्रति प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 97 से 100 तक पर संलग्न है।
(c)	Proposed CA area shows good vegetation therefore site suitability for compensatory afforestation needs a relook.	<u>अलीगढ़ वन प्रभाग-</u> प्रस्तावित स्थल का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 05.09.2018 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल पर छोटे-छोटे पैचों में वनीकरण कराया जा सकता है। चूंकि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित 1.319 हे0 पर मात्र 412 पौधों का रोपण किया जाना है, जिनकी सुरक्षा, संवर्धन, सिंचाई व्यवस्था आदि अलग से किया जा पाना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल पर 412 पौधों का रोपण खाली स्थानों पर किया जायेगा ताकि वृक्षारोपण की शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जा सके। <u>हाथरस वन प्रभाग-</u> क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल अवनत ऊसर वनभूमि है, जो क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है।

29/10/18

29/10/18